अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015,

सं0 4/2015- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी)

सा.का.नि. (अ) -- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा (2) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चबाने वाला तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैंकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चबाने वाला तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैंकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) संशोधन नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. चबाने वाला तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैंकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) नियम, 2010 में,--

(i) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"4. उत्पादन से सुसंगत कारक–- विनिर्माता के कारखाने में पैंकिंग मशीनों की संख्या तथा अधिकतम पैंकिंग गति जिस पर ऐसी मशीनों का विभिन्न खुदरा विक्रय कीमत के अधिसूचित मालों की पैंकिंग के लिए प्रचालन किया जा सकता है, अधिसूचित मालों के उत्पादन के लिए सुसंगत कारक होंगे ।"

(ii) नियम 5 में,--

(क) "अधिसूचित मालों की मात्रा", शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "यथास्थिति" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"अधिसूचित मालों की मात्रा, जिनकी खुदरा कीमत नीचे दी गई सारणी – 1 या सारणी – 2 के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट है, ऐसी प्रचालित पैंकिंग मशीन के उपयोग द्वारा उत्पादित, जिसकी अधिकतम पैंकिंग गति, जिस पर वह अधिसूचित माल की पैकिंग के लिए प्रचालित की जा सकती है, यथास्थिति, सारणी 1 के स्तंभ (3) या स्तंभ (4) या स्तंभ (5) या सारणी 2 के स्तंभ (3) या स्तंभ (4)

में यथा विनिर्दिष्ट है, प्रतिमास वह मानी जाएगी, जो यथास्थिति, सारणी – 1 के स्तंभ (3क) या स्तंभ (3ख) या स्तंभ (4क) या स्तंभ (4ख) या स्तंभ 5 या सारणी – 2 के स्तंभ 3, स्तंभ 4(क), स्तंभ 4(ख) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी प्रविष्टि के समतुल्य होगी" ;

(ख) सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

सारणी – 1

क्रम सं.	खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच)	चबाने वाला तंबाकू, जिसके अंतर्गत फिल्टर खैनी भी है, के लिए प्रति पैंकिंग मशीन प्रति मास उत्पादन क्षमता (पाउचों की संख्या)				
		चबाने वाला तंबाकू (फिल्टर खैनी से भिन्न)				चबाने वाला तंबाकू (सामान्य रूप से फिल्टर खैनी के रूप में ज्ञात)
		प्रति मिनट 300 पाउचों तक (3)		प्रति मिनट 301 पाउच और उससे अधिक (4)		कोई भी गति **(5)**
		बिना चूना ट्यूब के/चूना पाउच	चूना ट्यूब /चूना पाउच सहित	बिना चूना ट्यूब के/चूना पाउच	चूना ट्यूब /चूना पाउच सहित	
(1)	**(2)**	**(3क)**	**(3ख)**	**(4क)**	**(4ख)**	
1	1.00 रु0 तक	6240000	5928000	9984000	9484800	4243200
2	1.00 रु0 से अधिक किन्तु 1.50 रु0 से अधिक नहीं	6240000	5928000	9984000	9484800	4243200
3	1.50 रु0 से अधिक किन्तु	5616000	5304000	8985600	8486400	4031040

	2.00 रु0 से अधिक नहीं					
4	2.00 रु0 से अधिक किन्तु 3.00 रु0 से अधिक नहीं	5616000	5304000	8985600	8486400	3829488
5	3.00 रु0 से अधिक किन्तु 4.00 रु0 से अधिक नहीं	5241600	4929600	8386560	7887360	3638014
6	4.00 रु0 से अधिक किन्तु 5.00 रु0 से अधिक नहीं	5241600	4929600	8386560	7887360	3456113
7	5.00 रु0 से अधिक किन्तु 6.00 रु0 से अधिक नहीं	5241600	4929600	8386560	7887360	3283307
8	6.00 रु0 से अधिक किन्तु 7.00 रु0 से अधिक नहीं	4992000	4680000	7987200	7488000	3119142
9	7.00 रु0 से अधिक किन्तु 8.00 रु0 से अधिक नहीं	4992000	4680000	7987200	7488000	2963185
10	8.00 रु0 से अधिक किन्तु 9.00 रु0 से अधिक नहीं	4992000	4680000	7987200	7488000	2815026
11	9.00 रु0 से अधिक किन्तु 10.00 रु0 से अधिक नहीं	4992000	4680000	7987200	7488000	2674274
12	10.00 रु0 से अधिक किन्तु 11.00 रु0 से अधिक नहीं	4692480	4457856	7507968	7132570	2674274
13	15.00 रु0 से अधिक किन्तु 20.00 रु0 से अधिक नहीं	4410931	4190385	7057490	6704615	
14	20.00 रु0 से अधिक किन्तु 25.00 रु0 से अधिक नहीं	4146275	3938962	6634041	6302338	
15	25.00 रु0 से अधिक किन्तु 30.00 रु0 से अधिक नहीं	3897499	3702624	6235998	5924198	
16	30.00 रु0 से अधिक किन्तु 35.00 रु0 से अधिक नहीं	3663649	3480466	5861838	5568746	

17	35.00 रु0 से अधिक किन्तु 40.00 रु0 से अधिक नहीं	3443830	3271638	5510128	5234622	
18	40.00 रु0 से अधिक किन्तु 45.00 रु0 से अधिक नहीं	3237200	3075340	5179520	4920544	
19	45.00 रु0 से अधिक किन्तु 50.00 रु0 से अधिक नहीं	3042968	2890820	4868749	4625312	
20	50.00 रु0 से अधिक	3042968	2890820	4868749	4625312	

टिप्पण :- फिल्टर खैनी के संबंध में क्रम सं. 12 के सामने स्तंभ (2) में की प्रविष्टि "10.01 रुपए और उससे अधिक" होगी'' ।

सारणी – 2

क्रम सं. (1)	खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच) (2)	जर्दा सुगंधित तबाकू और अविनिर्मित तंबाकू के लिए प्रति पैकिंग मशीन प्रति मास उत्पादन क्षमता (पाउचों की संख्या)		
		जर्दा सुगंधित तबाकू	अविनिर्मित तंबाकू	
		कोई भी गति (3)	कोई भी गति (4)	
			चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना	चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित
(1)	**(2)**		**(4क)**	**(4ख)**
1	1.00 रु0 तक	6988800	4992000	4742400
2	1.00 रु0 से अधिक किन्तु 1.50 रु0 से अधिक नहीं	6988800	4992000	4742400
3	1.50 रु0 से अधिक किन्तु 2.00 रु0 से अधिक नहीं	6289920	4492800	4243200
4	2.00 रु0 से अधिक किन्तु 3.00 रु0 से अधिक नहीं	6289920	4492800	4243200
5	3.00 रु0 से अधिक किन्तु	5870592	4193280	3943680

	4.00 रु0 से अधिक नहीं			
6	4.00 रु0 से अधिक किन्तु 5.00 रु0 से अधिक नहीं	5870592	4193280	3943680
7	5.00 रु0 से अधिक किन्तु 6.00 रु0 से अधिक नहीं	5870592	4193280	3943680
8	6.00 रु0 से अधिक किन्तु 7.00 रु0 से अधिक नहीं	5591040	3993600	3744000
9	7.00 रु0 से अधिक किन्तु 8.00 रु0 से अधिक नहीं	5591040	3993600	3744000
10	8.00 रु0 से अधिक किन्तु 9.00 रु0 से अधिक नहीं	5591040	3993600	3744000
11	9.00 रु0 से अधिक किन्तु 10.00 रु0 से अधिक नहीं	5591040	3993600	3744000
12	10.00 रु0 से अधिक किन्तु 11.00 रु0 से अधिक नहीं	5255578	3753984	3566285
13	15.00 रु0 से अधिक किन्तु 20.00 रु0 से अधिक नहीं	4940243	3528745	3352308
14	20.00 रु0 से अधिक किन्तु 25.00 रु0 से अधिक नहीं	4643828	3317020	3151169
15	25.00 रु0 से अधिक किन्तु 30.00 रु0 से अधिक नहीं	4365199	3117999	2962099
16	30.00 रु0 से अधिक किन्तु 35.00 रु0 से अधिक नहीं	4103287	2930919	2784373
17	35.00 रु0 से अधिक किन्तु 40.00 रु0 से अधिक नहीं	3857090	2755064	2617311
18	40.00 रु0 से अधिक किन्तु 45.00 रु0 से अधिक नहीं	3625664	2589760	2460272

19	45.00 रु0 से अधिक किन्तु 50.00 रु0 से अधिक नहीं	3408124	2434375	2312656
20	50.00 रु0 से अधिक	3408124	2434375	2312656

(iii) नियम 6 में,--

(क) उपनियम (1) के खंड (x) में, "संख्या", शब्द के पश्चात् "खंड (vii) के अनुसार ब्यौरे" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) में, "अनुमोदन और घोषणा", शब्दों के पश्चात् "जिसके अंतर्गत वह अधिकतम पैंकिंग गति भी है जिस पर उसके कारखाने में उपलब्ध पैंकिंग मशीनों का प्रचालन विभिन्न खुदरा विक्रय कीमतों के अधिसूचित मालों की पैंकिंग के लिए किया जा सकता है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(ग) उपनियम (3) में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि 1 मार्च, 2015 से अवधि के लिए उत्पादन की वार्षिक क्षमता का पुन: अवधारण, यथास्थिति, उपायुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा चबाने वाला तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैंकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) संशोधन नियम, 2015 के प्रवृत्त होने से तीन कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा ।";

(घ) उपनियम (6) में, "विद्यमान खुदरा विक्रय कीमत" शब्दों के पश्चात् "या किसी नई खुदरा विक्रय कीमत के माल के विनिर्माण के प्रारंभ की दशा में वह अधिकतम पैंकिंग गति, जिस पर पैंकिंग मशीनों का प्रचालन ऐसी नई खुदरा विक्रय कीमत के मालों की पैंकिंग के लिए किया जा सकता है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iv) नियम 9 में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि मार्च, 2015 मास के लिए संदेय मासिक शुल्क का संदाय 15 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व किया जाएगा ;";

(ख) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह भी" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) नियम 18 में उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु किसी विनिर्माता के परिसर में उपलब्ध पैंकिंग मशीनों की संख्या के विषय में घोषणा न करना अंतर्वलित करने वाले उल्लंघनों की दशा में,, ऐसी अघोषित पैंकिंग मशीनों की बाबत उद्ग्रहणीय शुल्क का अवधारण परिसर में उपलब्ध पाई गई अघोषित पैंकिंग मशीनों की कुल संख्या, पैंकिंग मशीनों की सहायता से विनिर्मित पाउचों की अधिकतम खुदरा विक्रय कीमत तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 16/2010-के.उ. तारीख 27 फरवरी, 2010 में यथाविनिर्दिष्ट अघोषित अधिकतम पैंकिंग गति की तत्स्थानी प्रति पैंकिंग मशीन पर शुल्क की दर के आधार पर किया जाएगा ।"

(vi) नियम 18 के उपनियम (2) में, "इकाई का परिसर" शब्दों से आरंभ होने वाले और "सिवाय" शब्द पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर "इकाई का परिसर, पैंकिंग मशीनों की सहायता से विनिर्मित पाउचों की खुदरा विक्रय कीमत और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 16/2010-के.उ. तारीख 27 फरवरी, 2010 में यथाविनिर्दिष्ट उच्चतम अधिकतम पैंकिंग गति के तत्स्थानी प्रति पैंकिंग मशीन पर शुल्क की दर और सिवाय" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(vii) प्ररुप 1 में, पैरा 14 में "संख्या" शब्द के पश्चात् "प्रविष्टि (11) के अनुसार और ब्यौरे" शब्द, अंक और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(vii) प्ररुप 2 में, प्रविष्टि 4 में,--

(क) मद (ii) में "प्रत्येक खुदरा विक्रय कीमत" शब्दों के पश्चात् "और वह अधिकतम पैंकिंग गति जिस पर ऐसी मशीनों का उस खुदरा विक्रय कीमत के अधिसूचित मालों की पैंकिंग के लिए प्रचालन किया जा सकता है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) मद (iv) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(iv) विभिन्न शुल्कों के लिए नकद में कुल शुल्क के संदाय की अलग-अलग कीमत नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगी :--

सारणी

क्रम सं.	शुल्क	पान मसाला के लिए शुल्क का अनुपात	संदत्त शुल्क (रुपए में)	पान मसाला, जिसमें तंबाकू अंतर्विष्ट है, के लिए शुल्क का अनुपात	संदत्त शुल्क (रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क				
2	वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की धारा 85 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क				
3	वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आकास्मिक आपदा शुल्क				
4	वित्त अधिनियम, 2004 (2004 का				

	23) की धारा 91 के अधीन उद्ग्रहणीय शिक्षा उपकर				
5	वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर				

दृष्टांत : यह मानते हुए कि किसी विशिष्ट मास के लिए अधिनियम की धारा 3क के अधीन चबाने वाले तंबाकू के लिए संदेय कुल शुल्क दस लाख रुपए है और केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय उपलब्ध है तथा नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार शुल्क का संदाय करने के लिए उसका भी उपयोजन किया जाता है तब उपर्युक्त (iv) में ब्यौरे नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (6) के अनुसार होंगे :-

सारणी

क्रम सं.	शुल्क	कुल शुल्क की अलग-अलग कीमत (पहले से ही विहित शुल्क के अनुपात के अनुसार)	उपलब्ध केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय	शुल्क के संदाय के लिए उपयोजित केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय	शुल्क का नकद में संदाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क	81390	10000	10000	71390

2	वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की धारा 85 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क	6980	1000	1000	5980
3	वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आकास्मिक आपदा शुल्क	11630	1500	1500	10130
4	वित्त अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 के अधीन उद्ग्रहणीय शिक्षा उपकर	0.0	200	200	0.0
5	वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0.0	100	100	0.0
	कुल शुल्क	100000	12800	12800	87500

(फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू)

(प्रमोद कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 127(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा अधिसूचना सं. 11/2010-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 04/2014-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 24 जनवरी, 2014, जो सा.का.नि. 59(अ) तारीख 24 जनवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, किए गए थे ।